रैंकर उपनिरीक्षक की विभागीय परीक्षा हेतु सेवाभिलेख के आकलन/परीक्षा/मूल्यांकन के लिये अंकों का विभाजन

1— **सेवाकाल—20 अंक**— सेवाकाल के लिये अधिकतम 20 अंक।
प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 1 अंक प्रदान किया जाएगा।

2— **शिक्षा—10 अंक**—स्नातक या उससे ऊपर — 10 अंक

3— **पदक—10 अंक**—1.राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक पदक के लिये — 03 अंक
2.राज्य स्तरीय प्रत्येक पदक के लिये — 02 अंक

4— **प्रशिक्षण—30 अंक**— प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 30 अंक जिसमें से 20 अंकों के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिए 10 अंक तथा 10 अंकों के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिए 02 अंक।

6— **वार्षिक मन्तव्य(एसीआर)** —वार्षिक प्रविष्टि के लिए अधिकतम 30 अंक प्रदान किये जायेंगे।

7— **दण्ड**: दण्ड के सम्बन्ध में कटौती निम्नानुसार की जायेगी :—

अ— **बृहद दण्ड** प्रत्येक बृहद दण्ड के लिये 03 अंक काटे जायेंगे।

ब— **लघु दण्ड** प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 02 अंक काटे जायेंगे।

स— **प्रतिकूल प्रविष्टि एवं सूक्ष्म दण्ड**— प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि एवं सूक्ष्म दण्ड के लिए 01 अंक काट दिया जायेगा।

समूह परिसंवाद

लिखित परीक्षा एवं सेवाभिलेखों के मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों से **बोर्ड द्वारा निर्धारित केन्द्र/केन्द्रों पर समूह—परिसंवाद** में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ दस अभ्यर्थियों का पृथक—पृथक समूह बनाया जाएगा। इस समूह के प्रतिभागियों के समक्ष पुलिस वाद अध्ययन से सम्बन्धित किसी समस्या का टंकित अथवा मुद्रित आलेख प्रस्तुत किया जायेगा। इसे पढ़ने के लिये 05 मिनट का समय दिया जायेगा। इसके पश्चात प्रतिभागियों के समक्ष उक्त समस्या पर आधारित किसी विशिष्ट परिस्थिति/बिन्दु को परिसंवाद के लिये प्रस्तुत किया जायेगा और उनसे इस पर चर्चा करके समस्या का समाधान निकालने की अपेक्षा की जायेगी। चर्चा के लिये 20 मिनट का समय दिया जायेगा। विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा परिसंवाद के प्रतिभागियों द्वारा इसमे व्यक्त विचारों एवं विवेचन तथा समस्या के लिए प्रस्तुत समाधान के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जायेगा। समूह परिसंवाद के लिए 20 अंक होंगे और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबन्धन कौशल (5 अंक), प्रस्तुतिकरण (5 अंक), अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा।